

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)  
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सेवामें,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,  
नई दिल्ली।

पत्रांक: /आशु0/ एन0ओ0सी0/ /2011-12 दिनांक: 21-12-2011

विषय: डिवाइन पब्लिक स्कूल जंगल हकीम न0-2, घोसीपुर व मोहनापुर, गोरखपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05-11-2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार डिवाइन पब्लिक स्कूल जंगल हकीम न0-2, घोसीपुर व मोहनापुर, गोरखपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु औपबन्धिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली) से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों के सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Attested

19/05/2011

Principal  
Divine Public School  
Ghoshipurwa Jungle Hakim No.2  
Mohanapur P.O. Padri Bazar  
Gorakhpur - 273014 (U.P.)

7- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है , अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)

गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ0सं0 / 7919-26 /2011-12 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1-सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2-मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

3-जिलाधिकारी गोरखपुर ।

4-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ।

6-प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, डिवाइन पब्लिक स्कूल जंगल हकीम न0-2,घोसीपुर व मोहनापुर, गोरखपुर

7-गार्ड फाईल ।

*Attested*

*Signature*  
19/05/2011

Principal

Divine Public School  
Ghoshipurwa Jungle Hakim No.2  
Mohanaipur P.O. Padi Bazar  
Gorakhpur - 273014 (U.P.)

(प्रताप सिंह बघेल)

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)

गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।